INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP03048655856479V

Certificate No.	:	IN-UP03048655856479V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 04:05 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14741404/ AYODHAYA SADAR/ UP-FZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1474140401688048358144V
Purchased by	:	DEV WELFARE AND EDUCATION FOUNDATION DWARA INDRESH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DEV WELFARE AND EDUCATION FOUNDATION DWARA INDRESH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DEV WELFARE AND EDUCATION FOUNDATION DWARA INDRESH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

N.S. Affixed Rs. : V

NOTARIAL NOTARIAL

(प्रारूप–"अ")

समक्ष: प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

मै इन्देश कुमार पुत्र राधेश्याम शर्मा प्रबन्धक एवं श्रीमती शिशुकान्ती पत्नी राधेश्याम शर्मा अध्यक्ष देव वेलफेयर एण्ड एजूकेशनल फाउन्डेशन हाजीपुर सिंहपुर, मुमताज नगर, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है–

धारा–1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा देव कालेज ऑफ मेडिकल साइंस हाजीपुर सिंहपुर, मुमताज नगर, अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा–2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम हाजीपुर सिंहपुर, मुमताज नगर, अयोध्या में भूमि स्थित है जिसका गाटा संख्या 281वर्ग मी0/8100 वर्ग मी0 कुल रकबा 8100 वर्ग मी0 भूमि है।

धारा–3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

Deponent Sri. Indresh Kumar / Shashukanti

Identified by S(r)

SWORN AND VERIFIED BEFORE ME

NOTARY

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

धारा–4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 281मि0/8100 वर्ग मी0 कुल रकबा 8100 वर्ग मी0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 30.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

धारा–5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा–6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

धारा–7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा–8 यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा–9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा–10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा–11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा–12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा–13 हम घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

ह0 अध्यक्ष

ह0 सचिव

Deponent Sri ...
Identified by Sri ...
SWORN AND VERIFIED BEFORE ME

NOTARY

7/9/23